



गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

वर्ष : 15

अंक : 162

दि. 11.10.2025,

शनिवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा


EDITOR : MANOKUMAR CHAMPAKAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujiar2007@gmail.com • Email : garvigujiar2007@yahoo.com • Website : www.garvigujiar.co.in



विकास सप्ताह

24 साल जनविश्वास, सेवा और समर्पण के



कफ सिरप से बच्चों की मौत: तमिलनाडु में जांच में लापरवाही का खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच ठुकराई



(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश को झकझारे देने वाले जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के महाराष्ट्र एक्सेप्टिंग (CAG) की रिपोर्ट ने तमिलनाडु की दवा जांच व्यवस्था की गंभीर खालियों को उत्तेजित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दवाओं की टीटेस्टिंग और सैंपल कलेशन में भारी लापरवाही दर्शी गई, जिससे खराब गुणवत्ता वाली दवाएँ बाजार तक पहुंच गईं और निर्दोष बच्चों की जानें चोटी गईं।

CAG की 10 दिसंबर, 2024 को जारी रिपोर्ट 'पर्फॉर्मेंस के दृष्टिकोण से बच्चों की मौत के अनुसार' के अनुसार, राज्य में इस्टेंटेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज़ में ड्रग इंस्पेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 में जहाँ एक लाख सैंपल की टीटेस्टिंग का लक्ष्य था, वहाँ केवल 66,331 सैंपल की ही जांच की गई। यानी करीब 34% सैंपल की टीटेस्टिंग नहीं हुई। वह कमी आने वाले वर्षों में

में बची एक दवा कोलेंट्रिफ कफ सिरप विनायें जांच के बाजार में पहुंची। यह सिरप मध्य प्रेरणा और राजस्थान में कमी 40% तक पहुंच गई थी। रिपोर्ट में विवरित की गई, जहाँ 2019-20 में यह भी कहा गया कि ड्रग इंस्पेक्शनों ने सैंपल कलेशन के काम में लापरवाही की ओर कई वर्षों में 50% से अधिक सैंपल ही नहीं जुटाए गए।

इसी लापरवाही के कारण तमिलनाडु

कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले रसायन की मौजूदगी थी — वही रसायन जो शरीर में पहुंचते ही किडनी को नष्ट कर देता है।

मामले ने तुल तब पकड़ा कि जब देशभर में इसे लेकर विवेध और नागरिकों शुरू हुई। लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य के स्वास्थ्य विभागों की जवाबदेही पर सवाल उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाओं ने विवरित की है, जो तापदान, वितरण और निरीक्षण की मौत के चारों दिशाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी याचिका का विवेध करते हुए कहा कि रसायन जो शरीर में पहुंचते ही किडनी को नष्ट कर देता है।

इधर, इस जहरीले सिरप के निर्माता श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक रंगनाथन को 9 अंडरवर्क को चेन्नई से गिरावट कर देना चाहिए। इस जहरीले सिरप के निर्माता श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक रंगनाथन को 9 अंडरवर्क को चेन्नई से गिरावट कर देना चाहिए। इस जहरीले सिरप के निर्माता श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक रंगनाथन को 9 अंडरवर्क को चेन्नई से गिरावट कर देना चाहिए।

बच्चों की मौतों से गमनी परिवार अब भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। छिंदवाड़ा की एक माँ ने कहा — "हमने तो सोचा था यांसी की दवा दे रहे हैं, पर वही जहर बन गया। हमें किसी नाम नहीं जाहिए, बस इन्हाँ चाहिए कि किसी और माँ को गोद सूनी न हो।"

यह घटना केवल एक सिरप या एक

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
<div data-bbox="730 1989 739

